



सं.साप्रवि/पी/भर्ती-डेप्युटी सीई-65(iv)/ 5047

30 दिसंबर 2021

अध्यक्ष

सभी महापत्तन न्यास

महोदय/महोदया,

विषय: मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में रु 80000-220000 (रु 32900-58000 संशोधन पूर्व) के वेतन मान में उप मुख्य अभियंता का पद भरना.

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में रु 80000-220000 (संशोधन पूर्व रु 32900-58000) वेतनमान में उप मुख्य अभियंता का 1 पद दि. 18.8.2021 को रिक्त हुआ है. मुंपोट्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2010 के अनुसार यह पद मिश्रित पद्धति के माध्यम से महा पत्तन न्यासों से अधिकारियों का समावेश करके भरे जाने है. इस पद के लिए भर्ती नियमों की प्रति अनुलग्नक I में है.

2. भर्ती नियमों के अनुसार निर्धारित योग्यता, अनुभव तथा अन्य निकषों/आवश्यकताओं को धारण कर रहे सभी महा पत्तन न्यासों के पात्र तथा इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं.

3. आवेदन "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से **4.1.2022** से **4.2.2022** प्रस्तुत किए जाए. ऑनलाईन आवेदन की प्रिंट आउट सभी आवश्यक कागजातोंकी प्रतियों के साथ उचित माध्यम के जरिए प्रस्तुत की जाना जरूरी है. उप मुख्य अभियंता के पद के लिए पात्रता तय करने की निर्णायक तिथि **4.2.2022** होगी याने की आवेदन करने की अंतिम तिथि. निम्नलिखित कागजातों के साथ आवेदन संबंधित पोर्ट ट्रस्ट द्वारा अधोहस्ताक्षरी को **21.2.2022** को या उससे पहले इस कार्यालय में प्राप्त हो इस प्रकार अग्रेषित किये जाए.

- (i) पिछले 5 वर्षों की (2015-16 से 2019-20) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों/वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों की प्रमाणित प्रतियाँ (उप विभाग प्रमुख स्तर से कम नहीं ऐसे अधिकारी द्वारा हर एक पन्ने पर विधिवत प्रमाणित करें.
- (ii) वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों की वर्षवार उपलब्धता तथा श्रेणीकरण दर्शानेवाला विवरण, विभाग प्रमुख अथवा सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो. पिछले पाँच वर्षों में से यदि किसी विशिष्ट वर्ष/अवधि की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट उपलब्ध न हो तो उसके बारे में 'रिपोर्ट नहीं है प्रमाणपत्र' पूर्ववर्ती वर्षों के गोपनीय रिपोर्टों के साथ प्रस्तुत करें.

- (iii) संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा विधिवत भरा गया, हस्ताक्षरित किया गया, तथा मुहर लगाया गया प्रशासनिक तथा सतर्कता अनापत्ति (प्रपत्र की प्रति अनुलग्नक II में संलग्न की गई है)।
- (iv) संबंधित पोर्ट द्वारा अनापत्ति प्रमाणपत्र।
- (v) आवेदक को यदि सेवा चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है, तो उम्मीदवारी वापस नहीं ली जाएगी, इस आशय का प्रतिज्ञापत्र देना होगा।
- (vi) इस पोर्ट को आवेदन अग्रेषित करते समय संबंधित पद तथा वेतनमान वार उसमें शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के प्रमाण के रूप में सभी प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियों को संबंधित पोर्ट द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाए।
- (vii) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदन पर कोई बड़ा या मामूली दण्ड लगाया गया है, तो आवश्यक कागजातों के साथ अनुशासनात्मक मामला जो ऐसे दण्ड की और ले जाता हो इसे आवेदन सहित अग्रेषण प्राधिकारी द्वारा अनुलग्नक III के रूप में संलग्न फॉर्मेट में सतर्कता रिपोर्ट प्रस्तुत की जाना जरूरी है।

4.1 उम्मीदवारों को अनुदेश:

इस परिपत्र के संदर्भ में इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को अपना आवेदन पत्तन, पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय की वेबसाईट <http://onlinevacancy.shipmin.nic.in> के "ऑनलाईन आवेदन पोर्टल (ओएपी)" के माध्यम से ऑनलाईन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। यह लिंक **4.1.2022 से 4.2.2022** तक खुली होगी। सबसे पहले उम्मीदवार को अपने आप को ओएपी में पंजीकृत करवा लेना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद, उम्मीदवार को ऑनलाईन आवेदन का प्रिंट आउट लेकर उसे स्वयं प्रमाणित पुष्टीकृत कागजातों की फोटो प्रतियों के साथ 2 हालही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ्स के साथ संबंधित पोर्ट को प्रस्तुत करना जरूरी है। अपूर्ण आवेदन अथवा देर से प्राप्त हुए आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

4.2 मंत्रालय के दिनांक 9.7.2020 के पत्र के अनुसार, सभी उप विभाग स्तर पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी केंद्र सरकार अर्थात् सचिव (पोत परिवहन) होंगे। उस संबंध में, सभी महा पत्तन न्यासों को उनके सेवा विनियमों में अर्थात् भर्ती नियम (RRs), वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस अॅण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में (जहाँ कहीं भी आवश्यक हो) निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार संशोधन करने का निदेश दिया जाता है।


4.3 तत्पश्चात, मंत्रालय ने दिनांक 29.12.2020 के पत्र द्वारा सूचित किया है कि सेवा विनियमों में अर्थात् भर्ती नियम (RRs), भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति (आर एस अॅण्ड पी), वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील तथा अन्य संगत विनियमों में जब तक संशोधनों को अधिसूचित नहीं किया जाता है तब तक, महा पत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख के स्तर के पदों को केवल पोर्ट के स्तर पर मिश्रित पद्धति द्वारा समावेश करके भरा जा सकता है, पदों को भरने हेतु विज्ञापन, विभाग में पदोन्नति समिति आदि को पोर्ट के स्तर पर आयोजित किया जाए। तथापि विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों के बारे में महा पत्तन न्यासों द्वारा मंत्रालय को सूचित किया जाएगा तथा नियुक्ति आदेशों को जारी करने से पहले मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

4.4 मंत्रालय के सलाह/ निर्देश दिनांक 11.8.2021 के अनुसार, उप विभाग प्रमुख स्तर का पद भरने के संबंध में, पोर्ट द्वारा किसी भी आवेदक के संबंध में आवेदन की अग्रिम प्रति की प्राप्ति के बारे में यदि उसका आवेदन आवेदनों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के 15 दिनों के अंदर प्राप्त नहीं हुआ तो पोर्ट द्वारा उस उम्मीदवार की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जायेगा.

4.5 उसी प्रकार, उपरोक्त दिनांक 11.8.2021 के अनुसार, जो पोर्ट अधिकारी सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किये जाने के बाद इस पद के लिए अपनी उम्मीदवारी वापस लेता है तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए सभी महापत्तन न्यासों में उप विभाग प्रमुख स्तर के पदों पर भविष्य में चयन हेतु विवर्जित किया जा सकता है.

5. अनुलग्नकों सहित परिपत्र हमारी वेबसाइट www.mumbaiport.gov.in पर भी उपलब्ध है.

भवदीय,



सचिव

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

संलग्न. यथोक्त.

अनुलग्नक -I

स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (स्मये)	पद चयन है या गैर चयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती की पध्दति (सीधी भती या पदोन्नति/ विलयन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की जानी है	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	उप मुख्य अभियंता (सिविल)	7	श्रेणी - I	16000-400-20800	चयन	42 वर्ष	अनिवार्य : i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से नागरी अभियांत्रिकी में पदवी या समकक्ष ii) औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में योजना/निर्माण/अभिकल्प/अनुरक्षण विशेषकर पोर्ट एवं समुद्री संरचना में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं	संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन अथवा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों नहीं होने पर सीधी भर्ती द्वारा.	महापत्तन न्यास में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी अथवा नागरी अभियांत्रिकी विभाग के संबद्ध क्षेत्र में 13000-18250 स्मये वेतनमान में 3 वर्ष से कार्यकर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी अथवा महापत्तन न्यास में सिविल अभियांत्रिकी विभाग में दो वर्षों से नियमित कार्य कर रहे और 10750-16750 रु एवं 13000-18250 रु वेतनमान में संयुक्त	

										<p>स से 7 वर्षों से नियमित कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन के योग्य है.</p> <p>सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त निकायों में तत्समान पद पर कार्य कर रहे अधिकारी और सिविल अभियंता विभाग के संबध्द क्षेत्र में 13000-18250 रु वेतनमान में 3 वर्षों से कार्य कर रहे अधीक्षण अभियंता और समकक्ष पद के अधिकारी प्रतिनियुक्ति के योग्य है. चयन गुणवत्ता के आधार पर होगा इसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में बेंचमार्क की सम्पूर्ण ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" होना आवश्यक है.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती -----

पद -----

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.
3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.
4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.
5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2015 से 31.3.2020) के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.
6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

सर्तकता अनापत्ति हेतु प्रपत्र

संदर्भ संख्या

दिनांक

भाग ए मानव संसाधन विभाग द्वारा भरा जाए:

- 1 आवेदक का नाम :
- 2 विभाग तथा भविष्य निधि खाता संख्या :
- 3 पदनाम तथा श्रेणी :
- 4 संशोधित वेतनमान (रु) :
- 5 क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत किया है (प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के लिए लागू) : हॉ/नहीं
- 6 वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने कि तिथि :
- 7 सर्तकता अनापत्ति प्राप्त करने कि पिछे उद्देश्य :
- 8 क्या अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि ऐसा है तो पहले रिकार्ड प्रस्तुत करें) : हॉ/नहीं
- 9 यदि हॉ तो विवरण/ताजा स्थिति की जानकारी दे : हॉ/नहीं
- 10 क्या सजा की प्रक्रिया के अधिन है. क्या आवेदक के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हॉ विस्तृत विवरण दें.) : हॉ/नहीं
- 11 क्या मुंपोट्ट द्वारा स्थानिक पुलिस में कोई केस दर्ज किया गया है/लंबित है. : हॉ/नहीं

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

भाग बी सर्तकता विभाग द्वारा भरा जाए:

- 12 सर्तकता विभाग की अभ्युक्तियों (संपूर्ण ताजा स्थिति तथा सिफारिशें यदि कोई हो तो दे यदि आवश्यक हो तो अलग प्रपत्र जोड़ें) :
- 13 सर्तकता अनापत्ति : प्रदान की गयी/नहीं प्रदान की जा सकती

दिनांक:

(मुख्य सर्तकता अधिकारी)